Seventeenth Loksabha

an>

Title: Withdrawal of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2019; the Industrial Relations Code, 2019 and Code on Social Security, 2019 (Bill Withdrawn).

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा को विनियमित करने वाली विधियों को समेकित और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमित दी जाए।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

रिसर्च कोर्ट बिल, 2019, आईआर कोर्ड बिल, 2019 और सोशल सिक्योरिटी बिल, 2019 ये वर्ष 2019 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे और इंट्रोडक्शन के बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर को रेफर किए गए थे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने तीनों लेबर कोर्ट के संबंध में पूरी चर्चा की और करीब 233 अनुशंसाएं दी थीं। उनमें से करीब 174 अनुसंशाएं मान भी ली गई थीं। इन अनुशंसाओं के कारण बहुत सारे मूलभूत पर्रिवर्तन हुए हैं और लेबर कोर्ट्स में किए गए हैं। इस तरह सोशल सिक्योरिटी कोर्ट में प्रिएम्बल में भी परिवर्तन किया गया है। इस प्रकार इंट्रोड्यूस किए गए बिल में अधिक संख्या में परिवर्तन किए जाने के कारण यह उचित है कि पुराने

about:blank 1/7

बिल्स को विद्ड्रॉ किया जाए तथा उनके स्थान पर ओएसएच कोर्ट बिल, 2020, आईआर कोर्ट बिल, 2020 तथा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 को पुनः इंट्रोड्यूस किया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि मैंने आपको जो बातें बताई हैं, इसके आधार पर आपसे इन तीनों बिल्स के विद्ड्रॉल की अनुमित मांगता हूं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज की कार्यसूची में क्रम सं. 7,8 और 9 परिसूचित बद्ध तीनों विधेयक वापस लिए जाने के लिए लगे हुए हैं। माननीय श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री संतोष गंगवार जी तीनों विधेयकों के प्रभारी मंत्री हैं। माननीय सदस्य श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी ने प्रक्रिया नियम 111 के तहत इन तीनों विधेयकों को वापस लिए जाने के प्रस्ताव का विरोध करने की सूचना दी है। इसलिए माननीय मंत्री जी द्वारा क्रम संख्या 7 पर सूचीबद्ध विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमित का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी को इस प्रस्ताव का विरोध करने का अवसर दूंगा, चूंकि तीनों विधेयकों के प्रभारी मंत्री एक ही हैं, इसलिए माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे तीनों विधेयकों के बारे में एक साथ अपना पक्ष रख दें, तािक दोहराना न पड़े और कीमती समय भी बच सके। मैं माननीय सदस्यों से यह आग्रह करता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा को विनियमित करने वाली विधियों को समेकित और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमित प्रदान की जाए।"

"कि व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।"

"कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।"

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir, for affording me this opportunity under Rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha to oppose the withdrawal of all the three Bills. It may be treated as objection to all the three Bills listed under Item Nos. 7, 8, and 9 in today's List of Business. These Bills are;

The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2019

The Industrial Relations Code, 2019

The Code on Social Security, 2019.

The objections to all these three Bills are same, so, they may be treated as one.

My objection to the withdrawal of the Bills is purely on technical grounds. I fully appreciate the Labour Minister's stand that 74 per cent of the recommendations of the Standing Committee have been accepted. This is the observation made by the hon. Minister.

If that be the case, I have no opposition and I fully agree with it. But the technical point which I would like to highlight is regarding Rule 110. Sir, you may kindly see Rule 110. The Member in charge of a Bill may, at any stage of the Bill, move for leave to withdraw

the Bill on some grounds. Yes, I fully agree that the Member who moves the Bill has an ample authority, liberty, and freedom to withdraw the Bill at any time as he likes, provided that where a Bill is under a consideration by a Select Committee of the House or a Joint Committee of the Houses, as the case may be, notice of any motion for the withdrawal of the Bill shall automatically stand referred to the Committee and after the Committee has expressed its opinion in a Report to the House, the motion shall be set down in the List of Business.

So, here, the matter has already been referred to the Departmentally Related Standing Committee on Labour. The Departmentally Related Standing Committee on Labour went in-depth of the Bill and finally, they have submitted the Reports on all the three Bills. The Departmentally Related Standing Committee is one of the important Committees which is being constituted by the hon. Speaker. I think the hon. Chairperson of the Committee is here. The Committee has already submitted the Reports. The Government is withdrawing the Bills on which the Committee has already submitted its Reports. Yes, I do agree that the Standing Committee is not mentioned here. Why is it not mentioned here? It is because at the time of making Rules, the Departmentally Related Standing Committee was not there.

Kindly go to Rule 74, by which the Bills are referred to the Standing Committees:

"When a Bill is introduced or on some subsequent occasions, the Member in-charge may make one of the following motions in regard to one's own Bill, namely:

(i) that it be taken into consideration;

about:blank 4/

- (ii) that it be referred to the Select Committee; or
- (iii) that it be referred to the Joint Committee."

At that time, there was no Departmentally Related Standing Committee. The Departmentally Related Standing Committee is also a Joint Committee. The Departmentally Related Standing Committee consists of Members from both the Houses of Parliament. So, my strong objection is that without referring the matter to the Standing Committee, how can the Bill be withdrawn? That is the first objection which I would like to make.

My second objection is this. I am not going into the procedure of Rule 331H. Much time and effort have already been spent on all these provisions of the Bill and much pain has been taken in submitting a Report. But unfortunately, after the presentation of the Reports in the House, these Bills are being withdrawn. Definitely, the opinion of the Standing Committee has to be taken before withdrawing the Bills because as per Rule 331N, the Report of the Standing Committees shall have a persuasive value and shall be treated as considered advice given by the Committees.

So, I would like to know from the hon. Minister regarding the status of the Reports -- whether its recommendations have been accepted or not. The Government is going to introduce new Bills. After withdrawing all the three Bills, the Government is going to introduce all the three Bills today. So, I would like to seek an explanation from the hon. Minister. How has the Report of the Standing Committee not been taken into consideration? Why have the Chairperson and the Committee not been consulted before withdrawing the Bills? That is the technical objection which I would like to make regarding all the three Bills because the observations of the Standing Committee as well as the Reports of the Committee have their own sanctity. That should be respected. Without referring it to the Committee, it is an irregular procedure on the part of the Government in withdrawing the Bills. I do not want to use that word. It is a

about:blank 5/7

'disrespect' to the Departmentally Related Standing Committee on Labour. That is not fair. That is the main objection with regard to withdrawal of the Bills.

Regarding the merits, we do not know about the Bills because each Bill is having more than 150 pages. I would like to urge upon the hon. Speaker one more thing. Kindly issue a direction to provide hard copies of the Bills to us. Otherwise, it is very difficult for us. We are not the New-Gen MPs. We are not able to go through the contents of the Bill. There are more than 150 pages of the Bill. How will we be able to have a reading of the Bill online? How will we be able to make and elicit our own opinion and make amendments in the Bills online? It is very difficult for us. These three Bills are very important Bills as far as the labour community in the country is concerned and as far as the working class in the country is concerned.

Therefore, kindly supply hard copy of the Bills and give sufficient time to us so as to have a detailed discussion on the Bills. This is the submission which I would like to make along with these Bills.

With these words, I conclude. Thank you very much, Sir.

श्री संतोष कुमार गंगवार: अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय मित्र को बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि वे काफी जानकारी के आधार पर बोलते हैं। श्रम कानूनों के संशोधनों के संबंध में प्रधान मंत्री जी की रुचि शुरू से ही थी, इसलिए 44 श्रम कानूनों को चार कोड में बदला जाए, इसके लिए हम वर्ष 2014 से ही इस प्रक्रिया में चल रहे थे। हमने पहला कानून इस लोक सभा के सत्र के शुरूआत में किया था और उसके तहत हम लोगों ने कोड ऑफ वेजेज को पास करने का काम किया था। बाकी तीन बिलों के बारे में इस लोक सभा के कार्यकाल के शुरू होते ही हमारी सरकार इस काम में लग गई थी और उसके हिसाब से हम काम कर रहे थे। इसमें माननीय सदस्य जो टेक्नीकल बात कह रहे हैं, उस पर मुझे कोई आपित्त नहीं है। वे जो सुझाव दे रहे हैं, उनके सुझाव की पूरी मान्यता रहेगी। मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2019 में जब यह इंट्रोड्यूज हुआ, जैसा मैंने बताया था इंट्रोडक्शन के बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर को यह रेफर हुआ और स्टैंडिंग कमेटी ने तीनों लेबर कोड्स के बारे में पूरी चर्चा की।

मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री भर्तृहरि महताब जी को हम बहुत-बहुत बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने श्रमिकों के हित में बहुत अच्छी अनुशंसाएं कीं और हमने उन्हें माना। उन्होंने इन बिलों में 233 अनुशंसाएं कीं और उनमें करीब 174 अनुशंसाएं हमने मान लीं। इन अनुशंसाओं में कुछ बहुत मूलभूत परिवर्तन लेबर कोड्स में किए गए और सोशल सिक्योरिटी कोड़ के प्रिएम्बल तक में भी परिवर्तन किया हुआ है। इस प्रकार इंट्रोडक्शन के आधार पर ओरिजनल बिल में अधिक परिवर्तन हुआ है, इसलिए पुराने बिलों के स्थान पर नए बिल को लाने की बात सामने आई है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि श्रमिकों के हित में, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था, तब 44 श्रम कानून थे। कुछ रिपील हो गए, तब 29 श्रम कानूनों को हम चार कोड्स में बदलने का काम कर रहे हैं। इस सदन ने पहला कोड़ पूरी सहमति के साथ पारित किया था। बाकी तीन भी अब हम लेकर आ रहे हैं और ये सारे के सारे मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर लाए जा रहे हैं। आप अभी इन पर चर्चा भी करेंगे। मेरा आग्रह है कि इन बिलों को विदड़ा करके हम नए बिलों को इंट्रोड्यूज कर रहे हैं, इसलिए इसकी अनुमित आपके द्वारा दी जाए।

about:blank 7/7